न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 18/2018 / (गुण्डा एक्ट)
जी.सी.एम.एस नं.– 2020/00066

उनवान

राज्य सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस स्टेशन अयाना जिला कोटा ग्रामीण (राज0)

बनाम

यूसूफ अली पुत्र जीमल मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी अयाना थाना अयाना ,जिला कोटा।

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1)राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम

निर्णय दिनांक : 19/2/26

थानाधिकारी पुलिस स्टेशन **अयाना** जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जर्ये पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 मे कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ पेश किया गया कि गैरसायल **यूसूफ अली पुत्र जीमल मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी अयाना थाना अयाना ,जिला कोटा** थाना क्षैत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षैत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते है। जिससे उसके क्षैत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरूद्ध साक्ष्य देने के लिऐ आगे आने के इच्छुक नहीं रहते है। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते है। गैरसायल के विरूद्ध आपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र.स.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	160/2016	13 आरपीजीओ	150/26-10-16	सजा
2.	96/2017	13 आरपीजीओ	92/30.6.2017	सजा
3.	97/2017	13 आरपीजीओ	93/14.7.2017	सजा

अतः **यूसूफ अली पुत्र जीमल मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी अयाना थाना अयाना ,जिला कोटा** के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई। गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुऐ नोटिस दिया गया। गैरसायल की ओर से श्री मुकेश मीना अभिभाषक द्वारा वकालतनामा पेश किया। गैरसायल ने उपस्थित होकर थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा के संबध में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि थानाधिकारी अयाना द्वारा झूठे मुकदमें गैरसायल के विरूद्ध दर्ज करवाये गये है सम्पूण मुकदमे धारा 13

अति० जिला कलक्टर
कोटा

आर.पी.जी.ओ से संबधित है। अप्रार्थी के विरूद्व इसके अलावा थाना में कोई प्रकरण दर्ज नही है। प्रार्थी मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी के विरूद्व दर्ज 13 आर.पी.जी.ओ से संबधित है उक्त सभी प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्व पंजीबंद्व की गई उक्त मिथ्या विधिक कार्यवाहियों को इसी स्तर पर ख़ारिज फ़रमाने योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी **अयाना** द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में गैरसायल के विरूद्व 13 आर.पी.जी.ओ. की धारा मे 03 के तहत दर्ज हुए है। गैरसायल के चालचलन व अपराधिक रेकार्ड के संबध में पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण कोटा से भी रिपोर्ट प्राप्त की गई। पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण कोटा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार गैरसायल यूसूफ अली के विरूद्व पूर्व में प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार 3 प्रकरणों के अतिरिक्त थाना अयाना के रिकार्ड के अनुसार थाना अयाना पर वर्ष 2022 में 01 प्रकरण 13 आरपीजीओ, एवं वर्ष 2025 में 1 प्रकरण 13 आरपीजीओ का दर्ज हुआ है। वर्तमान मे गैरसायल युसुफ सट्टे की खाईवाली कर रहा है। गैरसायल का चाल चलन समाज के अनुसार ठीक नही है।

अतः इस्तगासा में वर्णित अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्व एंव दण्डित करने की स्थिति विद्यमान है। जिसके लिऐ पेरोकार सरकार द्वारा गैरसायल की गतिविधियां आमजन के लिऐ घातक होना कथन करते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। गैरसायल को इस इस्तगासा प्रकरण में वर्णित 13 आरपीजीओ की धाराओ में दर्ज प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व एंव दण्डित करने की प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गेरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 1 (ए) (बी) तथा (सी) के अन्तर्गत वर्णित स्थिति विद्यमान होना पाते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार **यूसूफ अली पुत्र जीमल मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी अयाना थाना अयाना ,जिला कोटा** राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत 15 दिन के लिऐ **थाना अयाना** कोटा की सीमा से **जिला बारां** के लिऐ निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल इस समयावधि में जिला कोटा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, नेकचलन रहेगा तथा निष्कासन अवधि के दौरान आने वाले सोमवार को अपनी उपस्थिति तथा गतिविधियो की जानकारी **थानाधिकारी, अन्ता ,जिला बारां** को प्रस्तुत करेगा । **थानाधिकारी, अन्ता ,जिला बारा** गैरसायल की गतिविधियों पर निगरानी रखेगें। गैरसायल की उक्त **15** दिवस की निष्कासन अवधि **20** दिन पश्चात अर्थात **दिनांक** 24 **./03/2026** से प्रारम्भ होगी। थानाधिकारी थाना **अयाना** जिला कोटा ग्रामीण उक्त गैरसायल **यूसूफ अली पुत्र जीमल मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी अयाना थाना** अयाना ,**जिला कोटा** को दिनांक 24 **/03/2026** को पुलिस अभिरक्षा में थाना **अयाना** जिला–कोटा (ग्रामीण) की सीमा से थाना, **थानाधिकारी, अन्ता ,जिला बारा** की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था करेगें। **थानाधिकारी, अन्ता जिला बारा** उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना देगे तथा निष्कासन अवधि समाप्त होने पर थानाधिकारी **अयाना** जिला कोटा (ग्रामीण) गैरसायल के वापस थाना क्षैत्र **अयाना** जिला कोटा (ग्रामीण) में लोटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेगें।

निर्णय आज दिनांक ....19/2/26.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटा, जिला कोटा
अति० जिला कलक्टर
कोटा

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा

क्रमांकः रीडर/ए.डी.एम./2026/ 361-62 दिनांकः: 5/03/2026

प्रेषित :-

1. थानाधिकारी अयाना जिला कोटा
2. थानाधिकारी सदर अन्ता, जिला बारां

विषय :- प्रकरण संख्याः 18/2018 (गुण्डा एक्ट) राज्य सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस स्टेशन अयाना जिला कोटा (राज0) बनाम **गैरसायल यूसूफ अली पुत्र जीमल मो0 जाति मुसलमान निवासी अयाना थाना अयाना जिला कोटा** ग्रामीण में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2026 की प्रति भिजवाने बाबत।

---0---

महोदय,

विषयान्तर्गत उल्लेखित प्रकरण संख्याः 18/2018 (गुण्डा एक्ट) राज्य सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस स्टेशन अयाना जिला कोटा (राज0) बनाम **गैरसायल यूसूफ अली पुत्र जीमल मो0 जाति मुसलमान निवासी अयाना थाना अयाना जिला कोटा** ग्रामीण में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2026 की प्रमाणित फोटो प्रति वास्ते सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित की जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटा, जिला कोटा

क्रमांकः रीडर/ए.डी.एम./2023/ 363-64 दिनांकः- 5/03/2026

प्रतिलिपी- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण, जिला कोटा/बारां, जिला बारां को निर्णय की छाया प्रति सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटा, जिला कोटा